न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 19/2026

खुशीराम बनाम बरसाती

<u>दिनांक 10–03–2026</u>

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रा0पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हो।

अवनीश गौतम,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

<u>दिनांक 10–03–2026</u>

पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदक खुशीराम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध बरसाती, सहाबुददीन, निजामुददीन, मुजम्मिल, आरिफ व गुड़िया इन कथनो का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति पासी व्यक्ति है। प्रार्थी ने आवासीय प्लाट दिनांक 03–09–2025 को विनोद पुत्र भारत व बसंती पुत्री भारत निवासी कानीबोझी परगना चरदा तहसील जमुनहा थाना मल्हीपुर से जरिये बौनामा क्रय किया था। प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी जमीन में अर्धनिर्मित एक किता टीनशेड लम्बाई 16 व चौड़ाई 10 है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी के नाम दाखिल खारिज होकर सरकारी खतौनी में दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर निर्माण कराने हेतु दिनांक 27–01–2026 को सुबह 10.30 बजे अपने निर्माण सामग्री को लेकर गया तो विपक्षीगण ने एकराय होकर पासी साले मादरचोद की गालियां दी जब प्रार्थी ने मना किया और कहा कि मैने जमीन खरीदा है निर्माण कराने आया हूं तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को एकराय होकर मारा पीटा। प्रार्थी अपने सदरी के जेब में 50 हजार रूपये रखे था उसे विपक्षी संख्या 4 व 6 ने लूट लिया और विपक्षी संख्या 6 ने विपक्षी संख्या 1 ता 3 को फोन करके बताया कि पासी साला निर्माण कराने आया है तो विपक्षी संख्या 1 ता 3 ने फोन हैण्ड फ्री करके जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दिया और कहा कि साले को बम से उड़ा दो। प्रार्थी थाने पर सुचना देने जा रहा था विपक्षीगण संख्या 4 ता 6 रास्ते में गाड़ाबन्दी करके बैठे थे प्रार्थी अकेल था और भयभीत था। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना जरिये डाक पुलिस अधीक्षक को दिया कोई कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया है। अतः मुकदमा दर्ज करा कर विवेचना कराई जाये।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची के माध्यम से, रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति पुलिस अधीक्षक को भेज गये पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है।

थाने से इन कथनों की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

मैंने तथा थाने प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार पक्षकारों के मध्य जमीन कब्जेदारी को लेकर विवाद है। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद संख्या 56/2026 गुड़िया बनाम खुशीराम लम्बित है। आख्या के अनुसार पुलिस द्वारा की गयी जांच मे कथित घटना के सम्बन्ध में आसपास मायावती व बबिता व अन्य लोगो से पूछताछ करने पर कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में विपक्षीगण द्वारा जातिगत गालियां देने व एकराय होकर मारने पीटने का कथन व प्रार्थी के जेब से पचास हजार रूपये निकालने का कथन किया है। पुनः इसी दफा मे विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 1 ता 3 से फोन कर के बताने व हैण्ड फ्री मोबाईल से गालियां दिये जाने का कथन किया है। घटना के अगले ही दिन पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 28–01–2026 की छायाप्रति मे पेन से पृष्ठ 2 पर विपक्षी संख्या के बाद पेन से ओवर राइटिंग किया गया है जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सन्देहास्पद बनता है। थाने पर मौखिक या लिखित सूचना दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य जमीनी व सिविल वाद को फौजदारी रंगत देने के लिए यह दावा दायर किया गया है। उपरोक्त विरोधाभाषो के दृष्टिगत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

अवनीश गौतम,
अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
जनपद श्रावस्ती।